राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7 (94) परि/नियम/मु./94/2017/36762 जयपुर, दिनांकः– 31/05/2017

कार्यालय आदेश 21/2017

यह संज्ञान में लाया गया है कि जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा कतिपय परिवहन जिलों में चालक लाईसेंस हेतु चालन परीक्षण का कार्य परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक के स्थान पर स्वंय ही संपादित किया जा रहा है जबकि सामान्यतः चूंकि यह कार्य तकनीकी प्रकृति का है। अतः यह कार्य परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा ही संपादित किया जाना अपेक्षित है। जिला परिवहन अधिकारी इस कार्य हेतु पर्यवेक्षीय अधिकारी है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षीय अधिकारी के रूप में गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें। यह भी देखा गया है कि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चालन परीक्षण का कार्य करने से कार्यालय में उन्हें आवंटित अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते है। कार्यालय में प्राप्त अन्य आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाता है, वहीं कार्यालय में समस्याओं के समाधान हेतु आने वाले व्यक्तियों की भी सुनवायी हेतु यथोचित समय का अभाव रहता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. भविष्य में किसी भी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा चालक लाईसेंस हेतु चालन परीक्षण नहीं किया जायेगा।
2. चालन परीक्षण केवल ऐसे परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा ही किया जायेगा जिसकी विशेष रूप से इस कार्य हेतु कार्यालय में ड्यूटी लगाई गई है।
3. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर ही जिला परिवहन अधिकारी चालन परीक्षण ले सकेगा परन्तु चालन परीक्षण से पूर्व जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिन परिस्थितियों के कारण चालन परीक्षण लिया गया है, का लिखित में विवरण देते हुए आदेश पारित किया जाना आवश्यक होगा तथा इस आदेश की एक प्रति ई–मेल द्वारा संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प.7 (94) परि/नियम/मु./94/2017/36763-67 जयपुर, दिनांकः– 31/05/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

31/5/2017

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)